निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर,जिला चित्तौड़गढ (राज)

पीठासीन अधिकारी — मांगीलाल रेगर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 20/2012(अपील) दिनांक : 15-12-2016

उनवान

1. श्री वरदा पिता रामलाल गाडरी 80 वर्ष निवास नन्नाणा तहसील भदेसर जिला चित्तौडगढ मृतक के बजाय
   1/1 श्री हीरालाल पिता वरदा गाडरी निवासी नन्नाणा
   1/2 श्री रतनलाल पिता वरदा गाडरी निवासी नन्नाणा
   1/3 श्री उदयलाल पिता वरदा गाडरी निवासी नन्नाणा

.... अपीलान्ट

।। बनाम ।।

1. श्री जगदीशचन्द्र पिता काशीराम सुथार व्यस्क निवासी बडोलीमाधोसिहं तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
2. ग्राम पंचायत नन्नाणा जरिये सरपंच

.... रेस्पोडेन्टस

अपील नामान्तरकरण संख्या 1260 दिनांक 05—07—2010
ग्राम पंचायत नन्नाणा

उपस्थित— श्री नारायणसिहं खगांरोत वकील अपीलार्थी

:: निर्णय ::

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अन्तर्गत धारा 75 राज0ले0रे0एक्ट के तहत नामान्तरकरण संख्या 1260 दिनांक 05-07-2010 ग्राम पंचायत नन्नाणा पर पारित निर्णय से असन्तुष्ठ होकर अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ़
15/12/16

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 15:40:47 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि ग्राम पंचायत नन्नाणा में स्थित आराजी नम्बर 194/11 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि जिसके पडोस पूर्व दिशा उंकार भाट का खेत, पश्चिम रास्ता, उत्तर रास्ता, दक्षिण मांगीलाल भाट की जमीन है जिस पर कब्जा 45 वर्ष से अपीलान्ट का चला आ रहा है जमीन पर अपीलान्ट ने कुआं 40 गज गहरा खोद रखा है कुएं पर शिलालेख खुदा हुआ है जिस पर मिति आसोज बुदी 3 संवत् 2034 लिखा हुआ है ।

2. यह कि अपीलान्ट ने यह जमीन सुखा पिता किसना भाट से 45 वर्ष पहले खरीदी तब से कब्जा चला आ रहा है सुखा के शान्त होने के बाद उसके लडके सूरजमल ने कहा कि मेरे को और रूप्ये देओं तो तुम्हारे नाम पर बिकाव नामा लिख दूंगा उसने 2700 रूप्ये अपीलान्ट से लेकर वैशाख सुदी 4 बृहस्पति वार विक्रय संवत 2032 को बही बिकावनामा लिख कर हस्ताक्षर कर दिये विक्रय पत्र में जमीन के पडोस लिखें हैं ।

3. यह कि अपीलान्ट के पक्ष में एक स्टाम्प दिनांक 26-3-2010 को सूरजमल ने और लिख कर दिया कि उक्त कृषि भूमि अपीलान्ट को पूर्व में विक्रय कर रखी है उस स्टाम्प पर सूरजमल के हस्ताक्षर है लेकिन दिनांक 21-6-2010 को यह जमीन रेस्पोडेन्ट न0 1 को विक्रय कर दी जबकि कब्जा अपीलान्ट का ही था ।

4. यह कि इस पर अपीलान्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर की अदालत में घोषणा कब्जा मुखालफाना एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया और उसमें रेकार्ड एंव मौके की यथास्थिति रखने का आदेश हआ लेकिन रेस्पोडेन्ट न0 1, 2 ने मिलकर पूर्व की तारीख 05-07-2010 में उक्त नामान्तरकरण संख्या 1260 रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के नाम पर खोल दिया जो निम्न लिखित कारणों से निरस्त किये जाने योग्य है :-

1- यह कि अधिनस्थ न्यायालय ने नियमों का पालन नहीं किया कब्जे की जांच नहीं की तथा नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि नामान्तरकरण ग्राम पंचायत की कोरम में पेश नहीं हुआ पंचायत के किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नहीं है नामान्तरकरा की पुश्त पर जो इबारत लिखी गई है वह न तो सरपंच के हाथ की लिखा हुई है और न ही सचिव के हाथ की लिखा हुई है । नामान्तरकरण पर जो हस्ताक्षर सरपंच के कर रखे है वे हस्ताक्षर लक्ष्मीदेवी जो मौजूदा सरपंच के नहीं है पटवारी हल्का ने जो नामान्तरकरण भर रखा है उस पर हस्ताक्षर के नीचे तारीख नहीं है भू अभिलेख निरीक्षक की जगह भी आई.एल.आर. के हस्ताक्षर नही है तारीख 6-7-2010 एवं दूसरी जगह 5-3-10 कर रखी है इस प्रकार की अनियमितताएं इस ना0क0 में कर रखी है इसलिये भी यह नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है ।

3- यह कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट एवं सूरजमल के खिलाफ दिनाक 09-07-2012 को न्यायिक मजिस्ट्रेट सा0 मण्डफिया की अदालत में अन्तर्गत धारा 420, 467,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 15:40:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़
5/12/16

468, 120बी, ता0हि0 में मुकदमा दर्ज करवाया है जिसमें गिरफ्तार हुए तथा उनका चालान अदालत में हुआ है यह सब कार्यवाही होते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के नाम पर पिछली तारीख (Back Date)में विधि विरूद्व तरीके से नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4– यह कि अपीलान्ट को नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट के नाम पर तस्दीक कर दिया इसकी जानकारी ग्राम नन्नाणा में रेस्पोडेन्ट उसके साडू के घर पर आया तथा कहा कि सरपंच का जेठ प्रकाश हमारे मिलने वाला है पंचायत में हर मिटींग में वह बैठता है , स्ट आर्डर जारी हुआ उसके पहले की तारीख में बिना वार्ड पंचों को पता पडे ही तस्दीक कर दिया यह बात अपीलान्ट का लडका रतनलाल सुन रहा था उसने अपीलान्ट को कहा तो नकल इन्तकाल लेने की दरख्वास्त पेश क नक दिनांक 11.10.2012 को मिलने पर कानूनी सलाह लेने वकील सा. के पास चित्तौडगढ, भदेसर , निम्बाहेडा गया दिनांक 21–22–23–24 अक्टूबर को न्यायालय में दशहरा का अवकाश होने से अदालत खुलते ही प्रस्तुत कर रहा हूं तारीख जानकारी से समयावधि में पेश है । समय कण्डोन फरमाया जावे

5– यह कि रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत नन्नाणा को भी अच्छी तरह से पता था किइस जमीन पर कब्जा अपीलान्ट का 40 वर्षो से भी अधिक समय से है कुआं खोद रखा है फसल अपीलान्ट की खडी है खरीददार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का कब्जा नहीं है फिर भी नोटिस नहीं दिया पंचायत के बाकी मेम्बरान को भी जानकारी नहीं होने दी बिना कोरम पंचायत में नामान्तरकरण पत्रावी को रखे बताये सरपंच की अशिक्षा व निरक्षरता का फायदा उठाते हु सरपंच जेठ प्रकाश ने ही कारगुजारी करके यह नामान्तरकरण भर कर तस्दीक कर दिया इसलिय ग्राम पंचायत का नामान्तरकरण रजिस्टर एवं दिनांक 05–07–2010 की कोरम प्रासिडिग्सं एवं रजिस्टर भी न्यायालय में मंगवाया जाकर कानूनी कार्यवाही की जावे वक्त रजिस्ट्री कब्जा रेस्पोडेन्ट को नहीं सौपा गया है ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा नामान्तरकरण संख्या 1260 दिनांक 5–7–2010 निरस्त फरमाया जावे ।

अपील बाद जांच दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेन्टस को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट नम्बर 01 की ओर से वकील श्री अनुराग ओझा ने वकालत नामा प्रस्तुत किया किन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा प्रकरण में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व उनके अधिवक्ता नें दिनांक 22–9–2016 के पश्चात भाग नहीं लिया गया । रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 15:40:47 IST
Reason: SelfAttested

लायक अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस एक पक्षीय सुनी गई जिन्होंने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दौहराया ।

15.12.16

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 1260 पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 21–6–2010 को भरा गया जिस पर भू0अ0नि0 द्वारा जांच की दिनांक 06–07–2010 तत्पश्चात् 05–03–2010 अंकित की गई है तथा अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत नन्नाणा द्वारा 05–07–2010 को निर्णीत किया गया है नामान्तरण पर अंकित उक्त तारीखों का अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण स्वच्छ हस्तों से निर्णीत नहीं किया गया है तथा आलौच्य नामान्तरकरण साक्ष्य का मोहताज हो जाता है । ग्राम पंचायत ग्रामीण पृष्ठ भूमि का एक सशक्त माध्यम होता है बिना मौके पर कब्जे की जांच किये नामान्तरकरण निर्णीत किये जाने की भूल की है पटवारी हल्का एवं भू0अ0नि0 द्वारा भी कब्जे के संबंध में किसी प्रकार की जांच नहीं की गई है । रेस्पोडेन्टस की ओर से भी अपील के तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित मानते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा मौजा नन्नाणा के नामान्तकरण संख्या 1260 दिनांक 05–07–2010 पर पारीत ग्राम पंचायत नन्नाणा का निर्णय अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार भदेसर को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में गुणावगुण पर परीक्षण कर अज–सरे–नो निर्णय पारीत करें । निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को भेजी जावे । देरी अवधि कन्डोन की जाती है ।

निर्णय आज दिनांक 15.12.16 को खुले न्यायालय में टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 15:40:47 IST
Reason: SelfAttested

15.12.16

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,जिला चित्तौड़गढ़